18

"आदेश"

श्री ओमबीर सिंह पुत्र श्री सुनहैरा सिंह निवासी 1353 जनकपुरी मुजफ्फरनगर द्वारा वार्ड संख्या-26 के परिसीमन पर आपत्ति प्रस्तुत की गयी कि वार्ड संख्या-26 का नाम महमूदनगर आंशिक इन्द्रा कालौनी आंशिक छाप दिया गया है, जबकि इन्द्रा कालौनी का कोई भी भाग इस वार्ड में नहीं आता है और वार्ड संख्या 26 में जनकपुरी/महमूदनगर आशिंक सम्मिलित होने के कारण इस वार्ड का नाम शुद्ध करके जनकपुरी/महमूदनगर आंशिक किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्रस्तुत आपत्ति पर अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद मु0नगर एवं नगर मजिस्ट्रेट मुजफ्फरनगर से परीक्षण आख्या प्राप्त की गयी। अधिशासी अधिकारी एवं नगर मजिस्ट्रेट मु0नगर द्वारा अपनी संयुक्त परीक्षण आख्या दिनांक 27.4.2017 में उल्लिखित किया गया कि वार्ड के परिसीमन शासनादेश सं0-869/ 9-1-2017-02 निर्वाचन/2017 दिनांक 04 अप्रैल 2017 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार किया गया है। विभागीय त्रूटि के कारण जानकपुरी के स्थान पर मौ0 इन्द्रा कालोनी लिखा जाने का उल्लेख करते हुए शुद्धिकरण किया जाना आवश्यक होना लिखा है।

अतः अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद मु0नगर एवं नगर मजिस्ट्रेट मुजफ्फरनगर की संयुक्त परीक्षण आख्या से सहमत होते हुए वार्ड संख्या-26 का नाम जनकपुरी/महमूदनगर आंशिक तद्नुसार संशोधित किया जाता है।

1/5

(जी0एस0प्रियदर्शी)
जिलाधिकारी,
मुजफ्फरनगर